SHWETASIIARMA@ANmKA हरियाणा के राज्य 305
और अन्य *(प्रमोद कोहली. जे.)*

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली ***के समक्ष.***

सिलवेता शर्मा *(घ)* ***बाई'अमी'इका, - याचिकाकर्ता***

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,—/तपव्रर्फ^

2010 की CWPNo.6255

8th November. 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1959-धारा 15-हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002-आरआई। जेआई - जन्म रजिस्टर में पंजीकरण के बाद नाम का परिवर्तन- जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में अपने नाम के सुधार की मांग करने वाली याचिकाकर्ता - इस आधार पर अस्वीकृति कि कोई गलत, धोखाधड़ी या अनुचित नहीं है जिसमें सुधार की आवश्यकता है - क्या बच्चे के मूल नाम के परिवर्तन के बाद रजिस्टर में सुधार किया जा सकता है - आयोजित, हां- जन्म के बाद बच्चे द्वारा अपनाए गए बाद के नाम को शामिल करने के लिए कोई निषेध या बाधा नहीं - याचिका की अनुमति दी, नाम के सुधार के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया गया।

यह निर्णीत किया जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत नाम बदलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 'इसके विपरीत। अधिनियम की धारा 14 में यह प्रावधान है कि जहां किसी बच्चे के नाम के बिना जन्म के संबंध में पंजीकरण होता है, बाद में, बच्चे का नाम निर्धारित लाइम के भीतर शामिल किया जा सकता है। नियम 10 के तहत, जहां प्रारंभ में, बच्चे का नाम रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है, बच्चे का नाम जन्म के पंजीकरण की तारीख से 12 महीने के भीतर और नियम 10 (1) के परंतुक के तहत दर्ज किया जा सकता है। यदि सूचना 12 महीने के भीतर नहीं दी जाती है, तो भी यह इस नियम के बाद के भाग में निर्धारित तरीके से 15 साल की अवधि के भीतर दी जा सकती है। इस प्रकार, कानून नामके समावेश की अनुमति देता है जहां मूल रूप से कोई नाम शामिल नहीं है। इस सादृश्य पर, बाद के नाम को शामिल करने के लिए कोई निषेध या बाधा नहीं होनी चाहिए जो जन्म के बाद बच्चे द्वारा अपनाया गया हो।

आगे कहा गया, याचिकाकर्ताद्वारा यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर सबूतों की बहुतायत है कि उसका ज्ञात और प्रचलित नाम श्वेता शन्ना है, वही उसके पिता के सेवा रिकॉर्ड, राशन कार्ड, उसके माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज किया गया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि रजिस्टर में सुधार नहीं किया जाए, भले ही यह मान लिया जाए कि जन्म के समय बच्चे का मूल नाम बदल दिया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा रखी जाने वाली व्याख्या किसी भी तरह से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है,

(7 परोसता है)

बल्कि इसे पराजित करती है। वास्तविक तथ्य के रूप में। नियम 11 के साथ पठित धारा 15 प्रतिवादी संख्या 3 को न केवल जहां प्रविष्टि कपटपूर्ण या अनुचित है, बल्कि जहां यह रूप और पदार्थ में गलत है, वहां भी बदलने की अनुमति देती है, यदि उसके बैठने के लिए साबित होता है। धारा 15 और नियम 11 इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 3 को जांच करने का अधिकार देते हैं यदि कोई प्रविष्टि रूप और पदार्थ में गलत के रूप में विवादित है या उसे सही करने की मांग की जाती है, जिसमें बाद में नाम बदलने के बारे में प्रविष्टि भी शामिल है। धारा 15 और नियम 11 की सही व्याख्या करने और अधिनियम की सभी योजनाओं और नियमों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं की कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है।

(7 परोसता है)

अशोक भारद्वाज, ***याचिकाकर्ता के वकील।***

आर. डी. शर्मा, डी.ए.जी. ***उत्तरदाताओं के लिए हरियाणा।***

पेर्मोडी कोहली, जे (मौखिक)

(1) इसमें शामिल विवाद को ध्यान में रखते हुए और पक्षों के विद्वान वकीलों की सहमति से, इस याचिका को गति के स्तर पर ही निपटाया जाता है।

(2) याचिकाकर्ता राजबीर शर्मा और श्रीमती सुनीता शर्मा (पिता और माता) की बेटी हैं। उनका जन्म 21 दिसंबर, 1990 को यमुनानगर में हुआ था। उनके संबंध में नगर परिषद यमुनानगर के रिकार्ड में 27 दिसम्बर को नगर परिषद द्वारा रखे गए जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी। 1990. प्रमाण पत्र (एक अनुलग्नक पी -1) जो फॉर्म नंबर 5 की प्रति है, दर्शाता है कि एक बालिका का जन्म 21 दिसंबर, 1990 को गाबा अस्पताल, यमुना नगर में हुआ था

राजबीर मार्कंडेय और सुनीता के परिवार में। प्रविष्टि 27 दिसंबर, 1990 को पंजीकरण संख्या 4570 के तहत विधिवत की गई थी। याचिकाकर्ता के पिता भारतीय वायु सेना में सेवारत थे, वह विभिन्न स्थानों पर तैनात रहे। याचिकाकर्ता के पिता के पूरे सर्विस रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता का नाम राजबीर शर्मा की बेटी श्वेता शर्मा बताया गया है। यमुनानगर के खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए परिवार के चार सदस्यों के राशन कार्ड में, याचिकाकर्ता का नाम "श्वेता शर्मा" दिखाया गया है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि परिवार के चार सदस्यों यानी याचिकाकर्ता, उसके माता-पिता और भाई अंकुश शर्मा के नाम राशन कार्ड में उल्लिखित हैं। याचिकाकर्ता की कोई और बहन नहीं है। हेल्थ कार्ड में याचिकाकर्ता का नाम "श्वेता" दिखाया गया है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2007 में अपनी माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम भी "श्वेता शर्मा" के रूप में दिखाया गया है, जो सुनीता शर्मा और राजबीर शर्मा (माता और पिता) की बेटी है। याचिकाकर्ता ने जन्म और मृत्यु रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जिला रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु, जिला यमुना नगर (हरियाणा) को दिनांक 13 मार्च, 2009 (अनुलग्नक पी-7) का आवेदन दिया। उसके आवेदन को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 26 अगस्त, 2009 (अनुबंध पी -9) के आक्षेपित पत्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है

यह ...मामला राज्य जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियम, 2002 के नियम 11 (1) और आरडीबी अधिनियम, 1969 की धारा 15 के तहत नहीं आता है।

उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा बनाए गए जन्म और मृत्यु रजिस्टर में अपना नाम सुधारने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए इस याचिका का नेतृत्व किया है।

(3) लिखित बयान में,प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा उठाई गई एकमात्र दलील यह है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (इसके बाद "अधिनियम" को संदर्भित) की धारा 15 के तहत सुधार की आवश्यकता वाले जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में कोई गलत, धोखाधड़ी या अनुचित प्रविष्टि नहीं थी। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में, जन्म और मृत्यु रजिस्टर में याचिकाकर्ता के नाम के सुधार का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) मैंने विद्वान वकील को सुना है कि बराबर लंबाई मेंझूठ बोलता है।

(5) अधिनियम की धारा 10 में जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को देने की आवश्यकता है। धारा 14 में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को क्षमाशील जानकारी प्रदान करने का प्रावधान है। धारा 14 में रजिस्ट्रार को क्षमा करने का प्रावधान हैजिसके द्वारा जन्म प्रविष्टि का नाम ही है जबकि धारा 15 जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में सुधार या निरस्तीकरण से संबंधित है। धारा 14 और 15 आर्क को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया:

(6) . बच्चे **के नाम का पंजीकरण।**जहां किसी बालक का जन्म बिना नाम के रजिस्ट्रीकृत किया गया है वहां ऐसे बालक के माता-पिता या अभिभावक विहित अवधि के भीतर सूचना पंजीयक को मौखिक रूप से या लिखित रूप में देंगे और तत्पश्चात् रजिस्ट्रार ऐसे नाम को रजिस्टर में दर्ज करेगा और प्रारम्भिक और प्रविष्टि को प्रस्तुत करेगा।

(15) **प्रविष्टि का सुधार या रद्दीकरण- जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में। यदि** रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए आईएल साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा रखे गए किसी रजिस्टर में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविष्टि रूप या पदार्थ में गलत है, या धोखाधड़ी या अनुचित तरीके से की गई है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा उन शर्तों के संबंध में बनाए जा सकते हैं जिन पर और जिन परिस्थितियों में ऐसी प्रविष्टियां की जा सकती हैं, सही या रद्द कर दिया गया है, त्रुटि को ठीक करें या मूल प्रविष्टि के किसी भी परिवर्तन के बिना, मार्जिन में उपयुक्त प्रविष्टि द्वारा प्रविष्टि को रद्द करें, और सीमांत प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेंगे और उसमें सुधार या रद्दीकरण की गति जोड़ेंगे।

(6) राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं, नामत हरियाणा जन्म रजिस्ट्रीकरण और कल्ह नियम। 2002. अधिनियम की धारा 30 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए। नियम 1 I रजिस्टर में संशोधन से संबंधित है। नियम I I का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

(7) 11. (I) मुझे रजिस्ट्रार को सूचित किया जाता है कि रजिस्टर में एक लिपिकीय या औपचारिक त्रुटि की गई है या यदि ऐसी गलती याकोई अन्य गलती देखी गई है

उसके द्वारा और यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है, तो रजिस्ट्रार मामले की जांच करेगा और यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी कोई त्रुटि की गई है, तो वह धारा 15 में प्रदान की गई त्रुटि (प्रविष्टि को सही या रद्द करके) को ठीक करेगा और त्रुटि को दर्शाते हुए प्रविष्टि का एक उद्धरण भेजेगा और राज्य सरकार या जिला रजिस्ट्रार को त्रुटि को दर्शाता है और इसे कैसे ठीक किया गया है।

XXX XXX XXX XXX

(4) यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है तोरजिस्ट्रार उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर धारा 15 के अधीन विहित रीति से प्रविष्टि की जांच कर सकेगा, उसके द्वारा की गई त्रुटि की प्रकृति और मामले के सत्य तथ्यों को दर्शाने वाली घोषणा और मामले के तथ्यों की जानकारी में दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा समथत होगी।

(7) केवल जिस आधार पर याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है, वह यह है कि सुधार की आवश्यकता वाली कोई गलत, कपटपूर्ण या अनुचित प्रविष्टि नहीं है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता का अनुरोध अधिनियम की धारा 1 5 और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 11 के दायरे से परे है। इस पर कोई विवाद नहीं है कि 21 दिसंबर को राजबीर और सुनीता के परिवार में कन्या के जन्म से संबंधित रजिस्टर में प्रविष्टि है। 1990. बालिका का नाम अनितिका के रूप में उल्लेख किया गया है। यह भी विवादित नहीं है कि राजबीर और सुनीता से कोई अन्य कन्या संतान पैदा नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह श्वेता शर्मा नाम की एक ही लड़की है। जन्म तिथि, माता-पिता के नाम, जन्म का स्थान और पता वही है जो जन्म और मृत्यु रजिस्टर में दर्ज किया गया है। जन्म रजिस्टर को छोड़कर, याचिकाकर्ता का नाम सभी प्रासंगिक रिकॉर्डों में श्वेता शर्मा है, उदाहरण के लिए उनके पिता का सेवा रिकॉर्ड, उनका माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड। इस दस्तावेजी सबूत को न तो विवादित किया गया है और न ही किसी भी तरह से खंडन किया गया है। यह नोट करना विवेकपूर्ण है कि परिवार को जारी किए गए राशन कार्ड और उसके पिता के सेवा रिकार्ड में परिवार के केवल चार सदस्य अर्थात् परिवार के केवल चार सदस्य हैं। राजबीर शर्मा। उनकी पत्नी सुनीता शर्मा, उनकी बेटी श्वेता शर्मा और बेटे अंकुश शर्मा हैं। डॉक्स उस बच्चे की पहचान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं लगता है जिसका जन्म जन्म रजिस्टर में 21 दिसंबर, 1990 के रूप में दर्ज है। केवल

विवाद जन्म रजिस्टर में दर्ज किया गया दूसरा नाम है, वह नाम जिसे बच्चे (याचिकाकर्ता) ने उसके बाद अपनाया है। उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि जन्म रजिस्टर में प्रविष्टि, यदि कथित रूप सेअत्यन्त, धोखाधड़ी या अनुचित है, तो केवल अधिनियम की धारा 1 5 और नियम 11 के तहत ही सही की जा सकती है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने इस आधार पर सुधार की मांग नहीं की है कि प्रवेश धोखाधड़ी या अनुचित है, (क्योंकि यह याचिकाकर्ता की आसानी नहीं है कि किसी भी गलती के कारण, उसका नाम अंकिता के रूप में उल्लेख किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के जन्म के समय, उसका नाम जन्म रजिस्टर में अनिलिका के रूप में उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में, माता-पिता ने अपना नाम बदलकर "श्वेता शर्मा" कर लिया जो असामान्य नहीं है। याचिकाकर्ता के बाद के सभी रिकॉर्ड में, वह अपना नाम श्वेता शर्मा के रूप में ले रही है। याचिकाकर्ता ने अब जन्म रजिस्टर में अपने नाम के सुधार के लिए कहा है, जो किसी भी कारण से आवश्यक हो सकता है, जैसे विदेश यात्रा या किसी अन्य करियर प्रमोशन आदि के लिए, जहां मैट्रिक प्रमाण पत्र आदि के साथ जन्म का प्रवेश भी आवश्यक है। यह मानते हुए कि शुरू में, याचिकाकर्ता को उसके जन्म के समय और उसके बाद अनितिका नाम दिया गया था, उनका नाम बदलकर श्वेता शर्मा कर दिया गया है जो डेलतक जारी रहा। एक डॉक्टर को जन्म के चूने में दर्ज किए गए नाम को बदलने से इनकार करने का कोई कारण समझ में नहीं आता है, अगर बाद में नाम

किसी भी कारण से बदल दिया गया है और आज तक ऐसा ही है। अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत नाम बदलने के लिए कोई निषेध नहीं है। इसके विपरीत। अधिनियम की धारा 14 में यह प्रावधान है कि जहां किसी बच्चे के नाम के बिना जन्म के संबंध में पंजीकरण है, बाद में, बच्चे का नाम निर्धारित समय में शामिल किया जा सकता है। नियम 10 के तहत, जहां प्रारंभ में, बच्चे का नाम रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है, बच्चे का नाम जन्म के पंजीकरण की तारीख से 12 महीने के भीतर और नियम 10 (1) के परंतुक के तहत दर्ज किया जा सकता है। यदि सूचना 12 माह के भीतर नहीं दी जाती है तो भी यह इस नियम के अनुवर्ती भाग में विहित तरीके से 15 वर्ष की अवधि के भीतर दी जा सकती है। कानून नाम के समावेश की अनुमति देता है जहां मूल रूप से, कोई नाम शामिल नहीं है। इस सादृश्य पर, बाद के नाम को शामिल करने के लिए कोई निषेध या बाधा नहीं होनी चाहिए जो जन्म के बाद बच्चे द्वारा अपनाया गया हो। समाज में नाम बदलना कोई नई घटना नहीं है। अधिनियम की धारा 15 में यह प्रावधान है कि जहां रजिस्ट्रार के संतोषजनक तथ्य को यह साबित कर दिया जाता है कि किसी भी रजिस्टर में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविष्टि रूप या पदार्थ में गलत है, या

कपटपूर्ण या अनुचित तरीके से किया गया है, इसे ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार, नियम 11 का उप-नियम (4) किसी ऐसी प्रविष्टि के संशोधन से संबंधित है जो सारभूत रूप से त्रुटिपूर्ण है। यह मानते हुए कि जन्म के समय, यह एक सचेत प्रविष्टि थी, लेकिन उसके बाद बच्चे के नाम के परिवर्तन को देखते हुए, जिसके लिए कोई निषेध नहीं है, प्रविष्टि बच्चे के नाम की सीमा तक सार रूप में गलत हो गई है । याचिकाकर्ता द्वारा यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर सबूतों की बहुतायत है कि उसका ज्ञात और प्रचलित नाम श्वेता शर्मा है, वही उसके पिता के सेवा रिकॉर्ड, राशन कार्ड, उसके माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज किया गया है । ऐसा कोई कारण नहीं है कि रजिस्टर में सुधार नहीं किया जाए, भले ही यह मान लिया जाए कि जन्म के समय बच्चे का मूल नाम बदल दिया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा की जाने वाली व्याख्या किसी भी तरह सेन्याय के लक्ष्यों को पूरा नहीं करती है, बल्कि उसी को पराजित करती है। तथ्य की बात के रूप में, नियम 11 के साथ पठित धारा 15 प्रतिवादी नंबर 3 को न केवल प्रविष्टि को बदलने की अनुमति देती है, जहां प्रविष्टि कपटपूर्ण या अनुचित है, बल्कि जहां यह रूप और पदार्थ में गलत है, अगर उसकी संतुष्टि के लिए साबित हो। धारा 15 और नियम 11 इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 3 को जांच करने का अधिकार देते हैं यदि कोई प्रविष्टि रूप और पदार्थ में गलत के रूप में विवादित है या उसे सही करने की मांग की जाती है, जिसमें बाद में नाम बदलने के बारे में प्रविष्टि भी शामिल है। धारा 15 और नियम 11 के सही प्रतिपादन पर और अधिनियम की समग्र योजना और नियमों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों की कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है।

(8) तदनुसार इस याचिका की अनुमति दी जाती है और 26 अगस्त, 2009 (एन एक्सर पी -9) के आक्षेपित संचार को रद्द कर दिया जाता है औरप्रतिवादी नंबर 3 को याचिकाकर्ता के बाद के नाम के बारे में जांच करने का निर्देश दिया जाता है और यदि इस तरह की जांच पर मैं उसकी संतुष्टि के लिए साबित होता हूं कि लड़की का नाम, उसके माता-पिता के नाम, पता, तिथि और जन्म स्थान, स्थान का नाम, क्रम संख्या 4570, दिनांक 27 दिसंबर, 1990 में दर्ज किया गया है और याचिकाकर्ता के माता-पिता से पैदा हुई कोई अन्य महिला संतान नहीं है, मूल प्रविष्टि को बदले बिना उसके वर्तमान नाम के बारे में रजिस्टर के मार्जिन में एक पृष्ठांकन किया जाए। इस आदेश की प्रमाणित प्रति सक्षम प्राधिकारी को दिए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसम झ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोगनहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक औरआधिकारिक उद्दे श्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करणप्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्वेता शर्मा @ एएन (टीका बनाम हरियाणा राज्य 3 1 I
और अन्य *(प्रमोद कोहली, जे।*

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम